न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –863/2024

अनवान : –

1. सोहनलाल पुत्र शंकरलाल जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र शंकरलाल जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. नाथी देवी पत्नी स्व0 दयालाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. प्रकाश पुत्री स्व0 दयालाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. सन्तोष देवी पुत्री स्व0 दयालाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. सुखमा देवी पुत्री स्व0 दयालाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
6. इन्द्रजीत कौर पुत्री स्व0 दयालाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
7. सावित्री देवी पत्नी स्व0 सरजीत पुत्र स्व0 दयालाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
8. रमेश पुत्री शंकरलाल जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
9. जीरो पुत्री शंकरलाल जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादी**

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89</u>

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** - 21/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 107/107 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि शंकर पुत्र गणेशा जाति नायक निवासी रामसरा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शंकर पुत्र गणेशा के नाम दर्ज है। उक्त वाद भूमि पूर्व में दूदा पुत्र रूपा जाति नायक के नाम दज थी दूदा पुत्र रूपा ने दिनांक 14.08.1959 को ख0न0 139 की 29 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि यानि 14.19 बीघा भूमि को शंकर पुत्र गणेशा ने समस्त प्रतिफल देकर खरीद की थी तथा वाद भूमि का खरीद के समय से ही कब्जा ले लिया था। वाद भूमि वर्तमान में ख0न0 139/1 की 14.19 बीघा भूमि में परिवर्तित व पैमूद हो चूकी है। शंकर पुत्र गणेशा का स्वर्गवास दिनांक 30.04.2015 को हो चुका है शंकर पुत्र गणेशा जाति नायक निवासी रामसरा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 02.08.2006 को अपने पुत्रगण दयालाराम, रामकुमार, सोहनलाल के [illegible] सब रजिस्टार सिरसा से दो गवाहन की उपस्थिति में तस्दीक करवाई श्री शंकर पुत्र [illegible] हो चुका है तथा शंकर पुत्र गणेशा के एक पुत्र दयालाराम का भी देहान्त हो चुका है। दयालाराम [illegible] जायज वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 है जो की दयालाराम के विधिक उत्तराधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 ने भी अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा कि जावें की उक्त वाद भूमि का मुताबिक वसीयत वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐजराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी के वाद के समर्थन में वसीयतनामा, नवीनतम जमाबंदी, मूल बैयनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र वसीयत के गवाहन हरनेकसिंह नम्बरदार गांव नागोकी व राजेन्द्र कुमार के मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र बाबत वसीयत छिन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह व प्रिस कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि पूर्व में दूदा पुत्र रूपा जाति नायक के नाम दज थी दूदा पुत्र रूपा ने दिनांक 14.08.1959 को ख0न0 139 की 29 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि यानि 14.19 बीघा भूमि को शंकर पुत्र गणेशा ने समस्त प्रतिफल देकर खरीद की थी तथा वाद भूमि का खरीद के समय से ही कब्जा ले लिया था। वाद भूमि वर्तमान में ख0न0 139/1 की 14.19 बीघा भूमि में परिवर्तित व पैमूद हो चूकी है। शंकर पुत्र गणेशा का स्वर्गवास दिनांक 30.04.2015 को हो चुका है शंकर पुत्र गणेशा जाति नायक निवासी रामसरा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 02.08.2006 को अपने पुत्रगण दयालाराम, रामकुमार, सोहनलाल के पक्ष में सब रजिस्टार सिरसा से दो गवाहन की उपस्थिति में तस्दीक करवाई थी। शकर पुत्र गणेशा का देहांत हो चुका है तथा शंकर पुत्र गणेशा के एक पुत्र दयालाराम का भी देहान्त हो चुका है। दयालाराम के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 है जो की दयालाराम के विधिक उत्तराधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 ने भी अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है। अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शंकर पुत्र गणेशा के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के मुताबिक उक्त वाद भूमि दूदा पुत्र रूपा जाति नायक से दिनांक 14.08.1959 को ख0न0 139 की 29 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि यानि 14.19 बीघा भूमि को शंकर पुत्र गणेशा ने समस्त प्रतिफल देकर खरीद की है इसलिए वाद भूमि वसीयतकर्ता की स्वयं अर्जित भूमि है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार शंकर पुत्र गणेशा का स्वर्गवास दिनांक 30.04.2015 को हो चुका है शंकर पुत्र गणेशा जाति नायक निवासी रामसरा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 02.08.2006 को अपने पुत्रगण दयालाराम, रामकुमार, सोहनलाल के पक्ष में सब रजिस्टार सिरसा से दो गवाहन हरनेकसिंह नम्बरदार गांव नागोकी व राजेन्द्र कुमार की उपस्थिति में तस्दीक करवाई थी। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दोनो गवाहन का देहांत हो चुका है। शंकर पुत्र गणेशा के एक पुत्र दयालाराम का भी देहान्त हो चुका है। दयालाराम के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 है जो की दयालाराम के विधिक उत्तराधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 ने भी अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है। दोनो गवाहन के पुत्र छिन्द्र सिंह पुत्र हरनके सिंह जाति बाजीगर व प्रिंस कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति मेहता द्वारा वसीयत के संबंध में शपथ पत्र पेश किये गये है कि शंकरराम उर्फ शंकरलाल ने उक्त वाद भूमि की वसीयत अपने पुत्रों सोहनलाल, दयालाराम व रामकुमार के पक्ष में बहिब तहरीर करवाई थी उक्त वसीयत पर हमारे पिता के बतौर गवाहन हस्ताक्षर है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 107/107 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि शंकर पुत्र गणेशा जाति नायक निवासी रामसरा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक शंकर पुत्र गणेशा का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खतोदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार इजराय आदेश के संलग्न संलग्न 500/- रू

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –863/2024

अनवान : –

1. सोहनलाल पुत्र शंकरलाल जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र शंकरलाल जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. नाथी देवी पत्नी स्व0 दयालाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. प्रकाश पुत्री स्व0 दयालाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. सन्तोष देवी पुत्री स्व0 दयालाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. सुखमा देवी पुत्री स्व0 दयालाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
6. इन्द्रजीत कौर पुत्री स्व0 दयालाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
7. सावित्री देवी पत्नी स्व0 सरजीत पुत्र स्व0 दयालाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
8. रमेश पुत्री शंकरलाल जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
9. जीरो पुत्री शंकरलाल जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 863 सन 2024 निर्णय दिनांक –21/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 107/107 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि शंकर पुत्र गणेशा जाति नायक निवासी रामसरा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक शंकर पुत्र गणेशा का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खतोदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार इजराय आदेश के संलग्न संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर